प्रकरण संख्या :– 97 / 2018 ... आर.ए.एस.

श्रीमति लाडुबाई पत्नि रामलाल जाति सालवी निवासी दुगार तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. श्रीमति तुलछीबाई पत्नि कालू सालवी निवासी दुगार तह0 बेगूँ
2. श्रीमति कल्ली पत्नि भैरूलाल सालवी निवासी दुगार तह0 बेगूँ
3. हीरा पिता भगा बलाई निवासी दुगार तह0 बेगूँ
4. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री सिद्वान्त बिल्लू
अधिवक्ता वादीया
श्री आई.एम.अजमेंरी
प्रतिवादी संख्या :1

निर्णय दिनांक :– 08.11.2021

निर्णय वाद अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीया द्वारा वादपत्र की दावा पत्रावली को निस्तारण हेतु प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प दुगार पर रखाया गया। वादीया की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया कि मौजा दुगार प0ह0 दुगार में वादीया व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात दर्ज स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
732	1.04
733	0.04
735	0.25
किता–3	1.33 हैक्टर

यह कि वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादीया का 9/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक का 7/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 9/40 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 27/80 हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन वादीया व प्रतिवादीगण के भूमि का मौके पर विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने के कारण आये दिन सीमाओं, फसल, घास आदि काटते समय विवाद बना रहता है। उक्त विवाद के स्थाई समाधान हेतु वादीया द्वारा प्रतिवादीगण से दिनांक 05.08.2018 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से विभाजन कराने की कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया जिससे वादीया को यह वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई हैं। वाद कारण दिनांक 05.08.2018 से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादीया न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करती है:–

1– कि मौजा दुगार प0ह0 दुगार की आराजी संख्या 732,733,735 कीता– 3 कुल रकबा 1.33 हैक्टर भूमि में वादीया का हिस्सा 9/40, प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 7/16, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 9/40, एवं प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 27/80 अनुसार भूमि का मौके पर काबिजानुसार एवं हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति वादीया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।

2– कि बाद विभाजन वादीया का खाता पृथक पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादीया के पक्ष में प्रदान करायी जावे।

3– कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादीया को प्रतिवादीगण से प्रदान करायी जावे।

4– कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीया हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

वादीया का वादपत्र न्यायालय मे प्राप्त होने पर बाद ... दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में ... संख्या एक की अधिवक्ता श्री अजमेंरी द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत ... जबकि प्रतिवादी संख्या ... बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा पारित किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या एक द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाने से उनका जबाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर न्यायालय द्वारा बन्द किया गया जबकि प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, बेगूँ फोर्मल पक्षकार होने से उनका जवाब प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:36:02 IST
Reason: SelfAttested

दावा पत्रावली साक्ष्य वादीया में विचाराधनी थी, उक्त पत्रावली को निस्तारण हेतु प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प दुगार पर रखाया गया, कैम्प दुगार में वादीया एवं प्रतिवादीगण द्वारा दावा पत्रावली के निस्तारण एवं विभाजन किये जाने हेतु एक लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में उपस्थित सभी पक्षकारान को हमारे द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प दुगार पर सुना गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया, नकल जमाबंदी का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि वाद वर्णित आराजीयात में हिस्सा वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक का वादपत्र अनुसार होने से वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीया का अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा दुगार प0ह0 दुगार की आराजी संख्या 732,733,735 कीता– 3 कुल रकबा 1.33 हैक्टर भूमि में वादीया का हिस्सा 9/40, प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 7/16, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 9/40, एवं प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 27/80 अनुसार भूमि का मौके पर काबिजानुसार एवं हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूॅ को 1000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा उपरोक्त आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रति में विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ भिजवाये जाने हेतु आदेश दिये जाते हैं। प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर प्राथमिक डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, बेगूॅ को दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को प्रशासन गॉवो के संग अभियान कैम्प–दुगार पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा–II)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूॅ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:36:02 IST
Reason: SelfAttested